खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 नवम्बर, 2011

सं. फा. 45(138)/अभि./पीएफए/2010/10542-555.—खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 के नियम 2.1.4 के उप-नियम (1) के खंड (ii) (ख) के साथ पठित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इसके द्वारा निम्निखित केमिस्ट को खाद्य अपिमश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 8 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समूचे क्षेत्र के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के लिए खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

- 1. श्री श्रीनिवास, केमिस्ट
- 2. श्री विद्या दत्त, केमिस्ट

तथापि श्री श्रीनिवास, कोमस्ट और श्री विद्या दत्त, कोमस्ट को खाद्य विश्लेषक के रूप में उल्लिखित नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :--

- 1. कि वह केमिस्ट के पद पर नियमित नियुक्तियां होने तक खाद्य विश्लेषक के रूप में कार्य करेंगे।
- 2. कि वह खाद्य अपिमश्रण निवारण विभाग में केमिस्ट के रूप में अपना वेतन लेते रहेंगे और उक्त खाद्य विश्लेषक के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।
- 3. कि उन्हें खाद्य विश्लेषक के पद या इस से सम्बद्ध वेतनमान या उक्त नियुक्ति के लिए किसी अन्य समतुल्य पद पर किसी प्रकार का दावा, पदनाम या अधिकार नहीं होगा।

के. एस. सिंह, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा

DEPARTMENT OF PREVENTION OF FOOD ADULTERATION NOTIFICATION

Delhi, the 1st November, 2011

No. F. 45(138)/Pros./PFA/2010/10542-555.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), read with clause (ii) (b) of sub-rule 1 of rule 2.1.4 of the Food Safety and Standards Rules, 2011, the Commissioner of Food Safety of National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints the following Chemists, appointed under Section 8 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954; as Food Analysts for the purpose of the Food Safety and Standards Act, 2006 for the entire area of National Capital Territory of Delhi:—

- 1. Sh. Shri Niwas, Chemist
- 2. Sh. Vidya Dutt, Chemist

However, the above mentioned appointments of Sh. Shri Niwas, Chemist and Sh. Vidya Dutt, Chemist as Food Analysts are subject to the following conditions that:—

- 1. They will work as the Chemist till the regular appointments to the post of Food Analyst are made.
- 2. They will continue to draw their salary as a Chemist in the Department of Prevention of Food Adulteration and no extra remuneration will be admissible to them for working as Food Analysts as above.
- 3. They will have no claim, title or right to the post of Food Analyst or the scale of pay attached thereto or any other equivalent post for the said appointment.

K. S. SINGH, Commissioner of Food Safty